

डाक-व्यवस्था की पूर्व-अदायगो के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी.
2-डब्ल्यू-पी/505/98.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 2/पी.-122/98



मध्यप्रदेश राजापत्रा

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 अगस्त 1998—त्रावण 31, शक 1920

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 1998

क्र. एफ. 15-65-96-दस-2.—चूंकि, राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दिये गये परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र वन्य प्राणियों नशा उनके रहवास/पारिस्थितिकी के संरक्षण, विस्तार तथा विकास के प्रयोजन के लिये पर्याप्त महत्व का है, अतः राज्य शासन एतद्वारा इस क्षेत्र को नव प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 1991) को धारा 26-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए "पेंच अभ्यारण्य" किन्तु सिवनी के रूप में अंतिम रूप से अधिसूचित करता है :—

परिशिष्ट

सम्मिलित क्षेत्र :

1. जिला—सिवनी
2. अभ्यारण्य का नाम—पेंच अभ्यारण्य
3. तहसील—सिवनी
4. वन परिक्षेत्र—रुखड़, कुरई, पश्चिम खावासा
5. अभ्यारण्य का क्षेत्रफल—118.473 वर्ग किलोमीटर।

सीमाएं :

1. उत्तर.—दक्षिण सिवनी वन मण्डल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 48, 61, 62, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80 एवं 81 की बाह्य सीमा।

2. पूर्व.—दक्षिण सिवनी वन मंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 81, 82, 84, 85 की बाह्य सीमा.
3. दक्षिण.—दक्षिण सिवनी वन मंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 85, 86, 87, 74, 73, 72, 68, 67, 66, 65, 55, 54 एवं 53 की बाह्य सीमा.
4. पश्चिम.—दक्षिण सिवनी वन मंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 53, 58, 59, 50, 49 एवं 48 की बाह्य सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र अग्रवाल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 1998

क्र. एफ. 15-65-96-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा इसके विभाग को उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र अग्रवाल, अपर सचिव.

Bhopal, the 21st August 1998

No. F. 15-65-96-X-2.—Whereas the State Government considers that the area specified in the Schedule below is of adequate significance for the purpose of the protection, propagation and development of wildlife and its habitat/ecology, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 20-A of the Wildlife Protection Act (as amended in 1991), the State Government hereby finally notifies the said area as "Pench Sanctuary" district Seoni.—

SCHEDULE

Area included :

1. District—Seoni
2. Name of the Sanctuary—Panch Sanctuary
3. Tahsil—Seoni
4. Forest Range—Rukhad, Kurai, West Khawasa
5. Area of the Sanctuary—118.473 Sq.km.

Boundaries :

North.—The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 48, 61, 62, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80 And 81 of South Seoni Division.

East.—The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 81, 82, 84 And 85 of South Seoni Division.

South.—The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 85, 86, 87, 74, 73, 72, 68, 67, 66, 65, 55, 54 And 53 of South Seoni Division.

West.—The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 53, 58, 59, 50, 49 And 48 of South Seoni Division.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
JITENDRA AGRAWAL, Addl. Secy.

मध्य प्रदे. शासन, वन विभाग

मन्त्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल - ४६२ ००४

भोपाल, दिनांक २१ अगस्त, १८

अधिसूचना

कमांक एफ-१५/६५/९६/१०-२: चूंकि राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दिये गये परिशिष्ट ने विनिर्दिष्ट क्षेत्र पर्याप्त प्राणियों तथा उनके रहवास/पारिस्थितिकी के संरक्षण, विस्तार तथा विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त महत्व का है, अतः राज्य शासन एतद् द्वारा इस क्षेत्र को वन्य प्राणी (रुद्रपंथ) अधिनियम, १९७२ (यथा संशोधित १९९१) की धारा २६-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग में लाते हुए 'पेंच अभ्यारण्य' जिता सिवनी के रूप में अतिम रूप से अधिसूचित करता है:-

परिशिष्ट

सम्मिलित क्षेत्र:

- | | | |
|----|------------------------|----------------------------|
| १. | जिला | - सिवनी |
| २. | अभ्यारण्य का नाम | - पेंच अभ्यारण्य |
| ३. | तहसील | - सिवनी |
| ४. | वन परिक्षेत्र | - झखड़, कुरई, पश्चिम खवासा |
| ५. | अभ्यारण्य का क्षेत्रफल | - ११८.४७३ वर्ग किलोमीटर |

सीमाएं:

१. उत्तर - दक्षिण सिवनी वनमंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ कमांक ४८, ६१, ६२, ६९, ७०, ७५, ७६, ७८, ७९, ८० एवं ८१ की बाह्य सीमा।
२. पूर्व - दक्षिण सिवनी वनमंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ कमांक ८१, ८२, ८४, ८५ की बाह्य सीमा।
३. दक्षिण - दक्षिण सिवनी वनमंडल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ कमांक ८५, ८६, ८७, ९४, ९३, ९२, ६८, ६७, ६६, ६५, ५५, ५४ एवं ५३ की बाह्य सीमा।

178

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, FORESTS DEPARTMENT
MANTRALAYA
VALLABH BHAVAN BHOPAL-462004

Bhopal, Dt.: 21/08/98

NOTIFICATION

No.: F/15/65/96/10-2: Whereas the State Government considers that the area specified in the schedule below is of adequate significance for the purpose of the protection, propagation and development of wildlife and its habitat / ecology, therefore, in exercise of the powers conferred by Section-20-A of the Wildlife Protection Act (as amended in 1991), the State Government hereby finally notifies the said area as 'Pench Sanctuary' district Seoni.

Schedule

Area Included :

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| 1. District | : | Seoni |
| 2. Name of the Sanctuary | : | Pench Sanctuary |
| 3. Tahsil | : | Seoni |
| 4. Forest Range | : | Rukhad, Kurai, West Khawasa |
| 5. Area of the Sanctuary | : | 118.473 Sq.km |

Boundaries:

North

- The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 48, 61, 62, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 80 and 81 of South Seoni Division.

East

- The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 81, 82, 84 and 85 of South Seoni Division.

South

- The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 85, 86, 87, 74, 73, 72, 68, 67, 66, 65, 55, 54 and 53 of South Seoni Division.

West

- The outer boundary of Reserved Forests comptt. Nos. 53, 58, 59, 50, 49 and 48 of South Seoni Division.

By order and in the name of
the Governor of Madhya Pradesh

J. I. A. 21/08/98
(Jitendra Agrawal)
Additional Secretary
GOMP, Forests Department